राजस्थान-सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांकः F.1(6)UDH/BIKANER/2025-12169-6906301 जयपुर, दिनांक :

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)}

यह कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को **बीकानेर शहर में कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज** के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु **भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर** को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर होंगे।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार-I)
शासन उप सचिव-III

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग / नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. जिला कलक्टर, बीकानेर
4. सचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि
6. सहायक निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव-III

RajKaj Ref No.: 14776629

फार्म-2

(देखिए नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	**बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर**
1.	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	बीकानेर शहर में कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
2.	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उदेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयाँ भी दें।	(1) परामर्शदाता (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
3.	यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
4.	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिति के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
5.	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न हाँ या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हाँ।
6.	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित क्षेत्र में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।
5. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारीयों को, जिनका इससे संबंध है, को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

6. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त धारा-4(1) के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों को पूरा हो जाने के समय तक विनिर्दिष्ट भूमि का **भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर** की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

संपर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

सामाजिक समाघात एजेन्सी

आर वी इन्फा कंसल्टेंसी,

पताः- बी-08, दादू दयाल नगर विस्तार, इस्कॉन रोड,

मानसरोवर, जयपुर-302020

कमलेश कुमार शर्मा

मोबाइल : 9799899347

आज्ञा से,

(राकेश कुमार-I)

शासन उप सचिव-III

Signature Not Verified

Digitally Signed by Rakesh Kumar I

Designation : Deputy Secretary To Government

Date :16-04-2025 08:22:19

राजस्थान के बीकानेर शहर में कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से प्रभावित संरचनाओं एवं संपत्तियों का विवरण :

Sl. No.	Property Owner	Area (Sq. Ft.)	Area (Sq. Mtr.)	Location	Remarks
1	NATHMAL & SONS. INDRAMANI DEVI W/O SHIVPRAKASH JOSHI ADD.: PANCHAYAT ROAD, UDASAR, BIKANER	45.91	4.27	N - OMPRAKASH STORE S - ROAD E - RAILWAY LINE W - OM PRAKASH	
2	OMPRAKASH BHAGWANTI DEVI W/O OMPRAKASH AGARWAL ADD. : C-89 SAMTANAGAR, BIKANER	178.08	16.54	N - OMPRAKASH STORE S - ROAD E - NATHMAL & SONS	
3	DENMAL DEEPCHAND JAIGOPAL S/O DEEPCHAND PRAJAPAT ADD. : KUMHARO KA MOHALLA, DAUJI MANDIR, BIKANER	78.37	7.28	N - OMPRAKASH STORE S - ROAD E -OMPRAKASH W - JAMNADAS PANNALAL	
4	JAMNADAS PANNALAL MAHAVEER PRASAD S/O PANNALAL ADD. : KUMHARO KA MOHALLA, DAUJI MANDIR, BIKANER	28.27	2.63	N - OMPRAKASH STORE S - ROAD E -DENMAL DEEPCHAND W - PAINTER BHOJ	
5	PAINTER BHOJ JITENDER KUMAR JHALODI ADD. : NATHUSAR BAS, MAALIO KA MOHALLA, BIKANER	128.8	11.97	N - ROAD S - ROAD E - OM PRAKASH STORE/JAMNADAS PANNALAL W - MANGILAL	
6	STORE OM PRAKASH BHAGWANTI DEVI W/O OMPRAKASH AGARWAL ADD. : C-89 SAMTANAGAR, BIKANER	315.15	29.28	N - ROAD S - ROAD E - RAILWAY LINE PANNALAL W - PAINTER BHOJ	
7	OSWAL TRADERS JAICHAND LAL S/O JHANWAR LAL OSWAL ADD. : HOUSE NO. 7, R.S.E.A SUB STATION, RANI BAZAR INDUSTRIAL AREA, BIKANER	118.82	11.04	N - ROAD S - ROAD E - WINE SHOP W - ROAD	
8	WINE SHOP MANJUBALA DEVI W/O MAHAVEER PRASAD MODI ADD. : 5E-285 JNV COLONY, BIKANER	47.42	4.41	N - ROAD S - ROAD E - CLOSED SHOP W - OSWAL TRADERS	
9	CLOSED SHOP CHAND DEVI W/O GIRDHARI LAL ADD. : GANDHI COLONY, PAWANPURI, BIKANER	45.82	4.26	N - ROAD S - ROAD E - JAI BHARAT STORE W - WINE SHOP	
10	JAI BHARAT STORERAJESH KUMAR, PAWANKUMAR KHATRI S/O LT. C.C.KHATRIADD. : JAI BHARAT STORE,KOTEGATE, BIKANER	38.62	3.59	N - ROADS - ROADE - MASALA SHOPW - CLOSED SHOP	
11	MASALA SHOP	44.76	4.16	N - ROAD	

Sl. No.	Property Owner	Area (Sq. Ft.)	Area (Sq. Mtr.)	Location	Remarks
	INDERJEET SOLANKI S/O GOPAL RAM SOLANKI ADD. : RANISAR BAS, BIKANER			S - ROAD E - ROAD W - JAI BHARAT STORE	
12	N.R. GUEST HOUSE CHIRANJI LAL SHRI MALO S/O PRITHVI RAJ SHRIMALI ADD: AACHARYA CHOWK, N.D. MODEL SCHOOL, BIKANER	117.08	10.88	N - HOUSE S - ROAD E - ROAD W - ROAD	
13	PIYAU	153.1	14.22	-	
14	**TOTAL AREA =**	**1340.2**	**124.51**		